बिल का सारांश

औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) बिल, 2026

- औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) बिल, 2026 को 11 फरवरी, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में संशोधन करने का प्रयास करता है। संहिता में ट्रेड यूनियनों की मान्यता, हड़तालों और तालाबंदी के लिए नोटिस अवधि और औद्योगिक विवादों के समाधान जैसे मामलों का प्रावधान है।
- **कानूनों को निरस्त करना**: 2020 की संहिता तीन कानूनों के स्थान पर लाई गई थी: (i) ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926, (ii) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) एक्ट, 1946, और (iii) औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947। यह बिल स्पष्ट करता है कि ये तीनों कानून 21 नवंबर, 2025 से निरस्त माने जाएंगे।

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

नव्या श्रीराम
navya@prsindia.org

12 फरवरी, 2026